न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—94/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/94)

1. रतनसिंह पुत्र कल्याण सिंह
2. गोविन्द कंवर धर्मपत्नि रतनसिंह
   जाति राजपूत निवासी माधोपुरा तहसील दूदू , जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. समरवीर सिंह पुत्र नाथूसिंह
2. नारायण कंवर पत्नि नाथूसिंह
   जाति राजपूत निवासी माधोपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।
3. ध्रुवश्री पत्नि उदयसिंह चुण्डावत पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 102, कृष्णा विहार कॉलोनी, पुरानी आर0टी0ओ रोड, एम.डी एस.स्कूल के पीछे, प्रतापनगर, उदयपुर।
4. जयश्री पत्नि भैरूसिंह राठौड पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी कसुम्बी हाऊस, शिव शक्ति भवन के पास, एफ.सी.आई गोदाम के पास, इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान।
5. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर राजस्व वाद संख्या 54/2019.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री बी.एल.शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः—27.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के पिता नाथूसिंह द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 65 की आराजी खसरा संख्या 100, 101, 104 लगायत 139, 184 लगायत 190, 196 लगायत 200, 221 लगायत 236, 238 लगायत 241, 287 लगायत 290, 313 लगायत 315, 51 लगायत 62, 99 कुल किता 89 रकबा 53.07 है0 एवं खाता संख्या 136 की आराजी खसरा संख्या 629, 632 कुल किता 2 रकबा 0.24 है0 भूमि वाकै ग्राम माधोपुरा में स्थित है। उक्त आराजीयात में 1/6

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हिस्सा नाथूसिंह व 1/6 हिस्सा रतनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परंतु रतनसिंह मदनसिंह के गोद चला गया इसलिए उनका अधिकार पैतृक आराजी कल्याण सिंह जी में जो 1/6 हिस्सा दर्ज है वह गलत दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मदनसिंह जी की पत्नी लाड कंवर की वसीयत से जो 1/3 हिस्सा दर्ज है वह भी गलत है। रतनसिंह ने मिलीभगत करते हुए आराजीयात वसीयत से गोविंद कंवर के नाम दर्ज करवा दी इसलिए 1/6 हिस्से से रतनसिंह का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया और रतनसिंह का मदनसिंह के कभी गोद नहीं जाना उल्लेखित किया तथा रतनसिंह के समस्त पहचान पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य, हाई सेकेण्ड्री प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आधार कार्ड, मुआवजा की रसीद व लाड कंवर की वसीयत के आधार पर खुले नामांतरकरण की नकल प्रस्तुत की एवं उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर बिना दस्तावेजों का अवलोकन किए दिनांक 7.2.2022 को प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को दत्तक पुत्र के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार नहीं होते हुए भी प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में मानकार गंभीर त्रुटि कारित की है, जबकि रतनसिंह कल्याण सिंह का प्राकृतिक पुत्र है एवं सभी दस्तावेजों में रतनसिंह के पिता का नाम कल्याण सिंह दर्ज है तो केवल मात्र वादी के कह देने मात्र से रतनसिंह जो आराजीयात का खातेदार काश्तकारी है के विरूद्ध कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थगन आदेश जारी किया है जबकि कब्जा प्रारम्भ से ही रतनसिंह के पास है। इसलिए प्रश्नगत आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में सह काश्तकारों को पक्षकार कायम नहीं किया गया और बिना सभी सह काश्तकारों को पक्षकार कायम किए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय ही नहीं था परंतु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट आराजीयात के सह काश्तकार है परंतु इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सह काश्तकारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है इसलिए आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक नॉन स्पीकिंग आदेश है जिसमें मात्र यह कहा गया है कि प्रार्थी एक खातेदार काश्तकार है इसलिए कानूनन खातेदार काश्तकार के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं है वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भी आराजीयात दर्ज है इसलिए उसे पाबंद किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार का आदेश सरसरी तौर ही निरस्त किए जाने योग्य है। अनन्तकाल के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। लाड कंवर की वसीयत गोविंद कंवर के नाम है एवं गोविंद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कंवर के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी काफी समय पूर्व ही हो गया है तथा गोविंद कंवर आराजीयात की खातेदार काश्तकार है न ही गोविंद कंवर के विरूद्ध रेस्पोडेंटस द्वारा कोई अनुतोष ही चाहा गया परंतु इसके उपरांत भी गोविंद कंवर के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 के पति/पिता /प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि भूमि वाके ग्राम माधोपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान स्थित है जिसमें खाता संख्या 65 की वर्तमान खातेदारी अप्रार्थी/प्रार्थी हिस्सा 1/6, प्रार्थी हिस्सा 1/3 तथा नरेन्द्रसिंह, माधोसिंह व सरेंकंवर हिस्सा 1/3 व रतनसिंह पुत्र कल्याणसिंह हिस्सा 1/6 दर्ज है एवं खाता संख्या 136 में अप्रार्थी/प्रार्थी हिस्सा 1/2 एवं प्रार्थी/अप्रार्थी हिस्सा 1/2 दर्ज है जो कतई गलत है मौके पर खाता संख्या 65 में हिस्सा 1/3 अप्रार्थी/प्रार्थी हिस्सा 1/3 नरेन्द्रसिंह, माधोसिंह, सरेंकंवर व हिस्सा 1/3 रतनसिंह दत्तकपुत्र मदनसिंह जो की प्रार्थी है व खाता संख्या 136 में हिस्सा संपूर्ण पर अप्रार्थी/प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। पत्रावली में वर्णित सिजरे से प्रमाणित है कि अप्रार्थी/प्रार्थी के दादा रावतसिह थे, जिनके तीन पुत्र क्रमशं मोहनसिंह, कल्याणसिंह व मदनसिंह हुए। मोहनसिंह के माधोसिंह, नरेन्द्रसिंह सरेंकंवर वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा कल्याणसिंह के नाथूसिंह अप्रार्थी/प्रार्थी व रतनसिंह प्रार्थी जायंदा पुत्र हुए तथा मदनसिंह के कोई जायंदा पुत्र–पुत्री संतान उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी को सन् 1954 की अक्षयतृतीया को मदनसिंह ने गोद ले लिया। इस प्रकार मदनसिंह के लाडकंवर व रतनसिंह विधिक वारिस व उत्तराधिकारी रहे। लाडकंवर का स्वर्गवास दिनांक 10.01.2002 को हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के मद में वर्णित आराजीयात में मदनसिंह के हिस्सा 1/3 पर प्रार्थी जो कि स्व0 मदनसिंह के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज काश्त होकर मदनसिंह एवं लाडकंवर के समस्त विरासतन विधिक अधिकार प्रार्थी/अप्रार्थी में निहित हो चुके है। मौके पर मदनसिंह के हिस्से पर प्रार्थी मदनसिंह की मृत्यु दिनांक 01.05.1990 से बहैसियत खातेदार करता चला आ रहा हैं। वर्णित आराजीयात प्रथमपर्चा सेटलमेंट संवत 2011–2029 के खाता संख्या 306 के अनुसार कुल किता 90 कुल रकबा 214 बीघा 13 बिस्वा का पर्चा हवाला कल्याणसिंह व मदनसिंह व मोहनसिंह पिता रावतसिंह कौम राजपुत सा0 देह के हक में राज्य सरकार द्वारा बहस बराबर–बराबर जारी किया गया व हाल खसरा नम्बर 629, 632 कि खातेदारी कल्याण सिंह पुत्र रावत सिंह के हक में दर्ज की गई। जब तक खातेदार कल्याणसिंह, मदनसिह व मोहनसिंह जीवित रहे बहैसियत मालिक व स्वामी एंव काबिज काश्त रहे तथा स्वर्गीय मदनसिह ने अपने जीवनकाल में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लाडकंवर की सहमति व स्वीकृति प्राप्त कर सन 1954 की अक्षयतृतीया को जाति–समाज एवं जातीय रीतिरिवाज अनुसार रतनसिंह को गोदपुत्र ले लिया था। तब से रतनसिंह ही मदनसिंह के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बतौर दत्तक पुत्र रहे तथा ग्राम माधोपुरा, दांतरी व समाज रिश्तेदारान में स्वर्गीय मदनसिंह के दत्तक पुत्र की हैसियत से पहचान कायम की। अप्रार्थी/प्रार्थी के पिता कल्याण सिंह पुत्र रावत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात जो विरासतन नामांतकरण तस्दीक किया गया, जिसमें राजस्व कारकुनानो द्वारा मृतक खातेदार कल्याण सिंह का विरासतन नामांतकरण संख्या 260 दिनांक 01.03.1966 दर्ज करते समय त्रुटिवश एवं गलती से प्रार्थी के हक में भी विरासतन नामांतकरण दर्ज कर दिया गया। जो कि विधिक त्रुटि व खामी रही चूंकि प्रार्थी सन 1954 में ही मदनसिंह के गोदपुत्र घोषित होकर उनके पास रहवास करने लग गए थे तथा पुत्र की हैसियत से प्रार्थी को समस्त दायित्व एवं कर्तव्य सृजित हो चुके थे परंतु अप्रार्थी/प्रार्थी जो कि तत्समय राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रख सका और गलती से राजस्व कारकुनानों द्वारा प्रार्थी का नाम भी कल्याण सिंह के विरासत में दर्ज कर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया जो नुमायशी गैरकानूनी विधि विरूद्ध तथा अवैधानिक होने से बमुकाबले अप्रार्थी/प्रार्थी प्रभावशून्य बातिल एवं बेअसर है, तथा अप्रार्थी/प्रार्थी अपने हक व हिस्से 1/3 की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में तीनों बिंदु अप्रार्थी/प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किए जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी/प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किए गए व प्रार्थी को अप्रार्थी/प्रार्थी की भूमि वाके ग्राम माधोपुरा तहसील दूदू, जिला जयपुर राजस्थान में अप्रार्थी/प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न स्वयं करे न अन्य से करावें तथा न ही दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, विक्रय, हस्तांतरण नहीं करने के आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय को दत्तक पुत्र के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार नहीं होते हुए भी प्रश्नगत प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टस के पक्ष में मानकर गंभीर त्रुटि कारित की है जबकि रतनसिंह, कल्याण सिंह का प्राकृतिक पुत्र है एवं सभी दस्तावेजों में रतनसिंह के पिता का नाम कल्याण सिंह दर्ज है तो केवल मात्र वाद के हक देने मात्र से रतन सिंह जो आराजीयात का खातेदार काश्तकार है के विरूद्ध कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बावत् स्थगन आदेश जारी किया है जबकि कब्जा प्रारम्भ से ही रतन सिंह के पास है तथा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टस आराजीयात के सह–काश्तकार है परन्तु इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सह काश्तकारों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लाड़ कंवर की वसीयत गोविन्द कंवर के नाम है एवं गोविन्द कंवर के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी काफी समय पूर्व ही हो गया है तथा गोविन्द कंवर आराजीयात की खातेदार काश्तकार है न ही गोविन्द कंवर के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस द्वारा कोई अनुतोष ही चाहा गया परन्तु इसके उपरान्त भी गोविन्द कंवर के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई जबकि अप्रार्थीगण अभिभाषक का जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार हैं, चूँकि गोद के पश्न का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य गवाहान आने के पश्चात तनकीयात कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

होने पर विस्तृत विवेचन के पश्चात ही हो पायेगा। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात का बैचान, रहन, बय व मुन्तकिल आदि से पाबंद नहीं किया गया तो आराजी मुतनाजा का बैचान होने की सभांवना है, ऐसी स्थिति में वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़ेगी और वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 को अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना रहती है। हमारे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन करने पर हमने यह पाया कि नाथू सिंह के पिता के तीन भाई थे मोहनसिंह, कल्याणसिंह व मदनसिंह। मदनसिंह ना औलाद फौत हो गए जिसके पश्चात प्रार्थी रतनसिंह को मदनसिंह द्वारा गोद जाने की छाया प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश कि गई जिसे मूल वसीयत की छाया प्रति होना स्वयं प्रार्थी रतनसिंह ने स्वीकार किया है, व वसीयतकर्ता श्रीमती लाड कंवर बेवा स्व0 श्री मदनसिंह ने प्रार्थी रतनसिंह पुत्र स्व0 कल्याण सिंह को अपना गोद पुत्र होना वर्णित किया है तथा वर्तमान स्थिति में विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह रिकार्डेड खातेदार की आराजीयात में दखलअंदाजी करें। चूंकि प्रार्थी का भी नाम उक्त आराजीयात मे दर्ज है इसलिए अगर उसे पाबंद नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा के बैचानं, रहन, बय मुंतकिल आदि से पाबंद किया जाता है, नहीं तो अप्रार्थीगण को अपूतनीर्य क्षति होगी। प्रथम दृष्टया, अपूर्तनीय क्षति, व सुविधा का संतुलन तीनों बिंदु अप्रार्थी के पक्ष में हैं जिसे अप्रार्थीगण में अधीनस्थ न्यायालय में बखूबी साबित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया जिसमें न्याायालय हाजा द्वारा आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है **कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आरजीयात में रेस्पोडेन्टस/प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न स्वयं करे, न अन्य से करावें तथा न ही दीगर व्यक्ति को रहन, बय, विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें।** अतः उपरोक्त वर्णन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होने से खारिज की जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner